

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वि.वि/समस्त महावि.का  
सूचित अरि  
24

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 15 दिसम्बर, 2020

विषय: उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु 'मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना' संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल एवं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में पाठ्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले नियमित छात्र-छात्राओं का मनोबल बढ़ाने तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करते हुये परीक्षाफल में सुधार लाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना' संचालित करते हुये निम्नानुसार पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रुपये में)

कक्षा	पुरस्कार की धनराशि	
स्नातक (विश्वविद्यालय स्तर पर) (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के समापन पर)	प्रथम स्थान	50,000
	द्वितीय स्थान	30,000
	तृतीय स्थान	15,000
स्नातकोत्तर (विश्वविद्यालय स्तर पर) (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के समापन पर)	प्रथम स्थान	75,000
	द्वितीय स्थान	60,000
	तृतीय स्थान	30,000


- (1) यह योजना उपरोक्त विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत केवल नियमित छात्र-छात्राओं पर ही लागू होगी।
- (2) योजना के अन्तर्गत कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के लिये किया जायेगा।
- (3) योजना के अन्तर्गत श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल एवं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा द्वारा आयोजित उक्त संकायों की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले नियमित छात्र-छात्राओं को पृथक-पृथक प्रदान किया जायेगा।
- (4) योजना में पुरस्कार हेतु छात्र-छात्राओं का चयन महाविद्यालयवार न करते हुये विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नियमित छात्र-छात्राओं में से किया जायेगा।

- (5) किसी भी परिस्थिति में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (6) किसी श्रेणी में यदि समान अंक प्राप्त करने वाले 01 से अधिक विद्यार्थी हों, तो ऐसी स्थिति में उक्त विद्यार्थियों को उस श्रेणी हेतु निर्धारित धनराशि पृथक-पृथक पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।
- (7) सुधार परीक्षा, बैक परीक्षा में संशोधित अंकों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर यदि किसी छात्र द्वारा किसी वर्ष में ड्रॉप किया गया है तो अगली कक्षा में उक्त छात्र को पुरस्कार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जायेगा।
- (8) उक्त योजना उन छात्रों पर लागू होगी जिन्होंने पूर्व में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त न की हो अर्थात् एक से अधिक विषयों में पृथक-पृथक डिग्री प्राप्त करने हेतु प्रयासरत अभ्यर्थियों पर उक्त योजना लागू नहीं होगी।
- (9) किसी छात्र को यदि पूर्व से किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो इसका छात्र के प्रश्नगत योजना से लाभान्वित होने पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (10) पुरस्कार के साथ सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जायेगा।

2- प्रश्नगत योजना में पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालयों (श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय) के स्तर से छात्रों के नामों की संस्तुति पृथक-पृथक निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रेषित की जायेगी तथा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की श्रेष्ठता सूची सम्बन्धित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-20-राज्य के मेधावी छात्र-छात्राओं हेतु प्रोत्साहन योजना-42-अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 267 (म0).XXVII(3)2020 दिनांक 01.12.2020 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

  
 भूषदीय,  
 (आनन्द बर्द्धन)  
 प्रमुख सचिव।

संख्या: —/XXIV-C-2/15(02)2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 5-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6-सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7-कुलपति/कुलसचिव, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, नई टिहरी।
- 8-कुलपति/कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 9-कुलपति/कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
- 10-समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।

- 11-निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
- 12-बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 13-वित्त अनु0-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 14-संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 15-अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, 3 एवं 4 उत्तराखण्ड शासन।
- 16-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)

उप सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पृ0 सं0 : डिग्री बजट/ 7064-65 /2020-21

दिनांक 15 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि- 1- कुल सचिव, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल/कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल एवं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा को आशय के साथ प्रेषित कि शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर संकायवार प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के नामों की संस्तुति कर सूची इस निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे, ताकि वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन में प्रेषित किया जा सकें।

2- समस्त राजकीय महाविद्यालय उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,



(डॉ0 कुमकुम रौतेला)  
निदेशक, उच्च शिक्षा।